माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

III/निगरानी/गुना/भू.रा/2018/2071

प्रकरण क्रमांक - /17-18 पुनरीक्षण (गुना)

श्रीमति मेबाबाई पत्नि फितूरी जाति हरिजन
निवासी ग्राम पतलेश्वर तहसील आरोन
जिला गुना ---------------- आवेदिका

बनाम

1. रितेश पुत्र कमरलाल जाति हरिजन
निवसी ग्राम पतलेश्वर तहसील आरोन
जिला गुना

2. म0प्र0 शासन ---------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

विरूद्ध आदेश दिनांक 13-11-2017 न्यायालय श्री राजेश जैन कलेक्टर गुना प्रकरण क्रमांक 43/स्व.निग./2012-13

श्रीमान जी,

सेवा में पुनरीक्षण याचिका निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि रेस्पोन्डेन्ट क्रमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 165 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम पतलेश्वर तहसील आरोन जिला गुना के भूमि खसरा क्रमांक 261/4 रकवा 1.062 का पट्टा वर्ष 1977 में उसके पिता कमरलाल को हुआ था। आवेदिका ने बिना अनुमति के दिनांक 17-06-1986 को कमरलाल से विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया था। विक्रय पत्र शून्य घोषित करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कायम कर पंजीबद्ध किया तथा स्वंमेव निगरानी में लिया गया।

2. यह कि तहसीलदार आरोन जिला गुना से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जॉंच प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया गया। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि उक्त भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किया गया तथा विक्रय पत्र शून्य घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा।

3. यह कि अनुविभागीय अधिकारी आरोन के द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये विक्रय पत्र शून्य घोषित करने तथा शासकीय घोषित करने की अनुसंशा की जिसके आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट क्रमांक 1 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–तीन / निगरानी / गुना / भू.रा. / 2018 / 2071

श्रीमती मेबाबाई विरूद्ध रितेश व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री प्रमोद गोहदकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्र.क्र. 43 / स्व.निग. / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	